झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 31 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सरस्वती देवी एवं अ
ग्राम - टेंगरा, पंचायत - कोशी
थाना - हुसैनाबाद, पलामू

बनाम

DISPOSED

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–31/2023

21.6.23

परिवादी श्रीमती सरस्वती देवी एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ।

परिवदी द्वारा कोशी पंचायत के PDS वितरक अलखदेव सिंह, अनु0 सं0–45/85 के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये है:–

1. माह सितम्बर से फरवरी तक का राशन नहीं दिया गया है।
2. कुछ लाभुकों को सितम्बर से दिसम्बर तक दो में से एक ही राशन दिया है।
3. PDS डीलर द्वारा बगैर राशन दिये लाभुकों से अंगूठा लगवा लिया गया है।
4. PDS दुकान अनियमित रूप से कभी–कभी ही खुला रहता है।
5. शिकायत करने पर डीलर द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है।
6. डीलर द्वारा लाभुकों को प्रति यूनिट आधा कि0ग्रा0 कम अनाज दिया जाता है। साथ ही खाद्यान्न का उठाव करते समय ईंट, पत्थर का प्रयोग किया जाता है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–10.07.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

21.6.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–31 / 2023

10.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री लल्लू साव एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू उपस्थित Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–पणन पदाधिकारी, पलामू Video conference के माध्यम से उपस्थित।

सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे। उनके प्रतिनिधि के तौर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–पणन पदाधिकारी उपस्थित रहे लेकिन तकनीकि कारणों से उनका पक्ष आयोग नहीं जान पाया। इस बीच टेलीफोन पर उपस्थित दूसरे नंबर के शिकायतकर्ता श्री लल्लू साव ने आयोग को बताया कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद उनके शिकायतों का निदान नहीं किया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अगली सुनवाई में आयोग कार्यालय में सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें एवं शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान कर उसका प्रमाण अगली सुनवाई से पूर्व आयोग को भेजें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–20.07.2023 को रखें।

13.7.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–31 / 2023

20.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री लल्लू साव एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू लगातार दूसरी बार अनुपस्थित रहीं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखित रूप से आयोग में सूचना प्रस्तुत की है कि वे अपनी नानी की श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण आयोग में उपस्थित नहीं हो पायेंगी।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे दिनांक–24.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस बीच शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान भी हो जाना चाहिए, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–24.07.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–24.07.2023 को रखें।

20.7.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–31 / 2023

24.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। वाद की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। प्रथम पक्ष की ओर से ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू के परिवादीगण उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।

परिवादीगण द्वारा माह सितम्बर 2022, से दिसम्बर, 2022 तक का PMGKAY एवं NFSA में से एक ही राशन दिये जाने तथा माह जनवरी, 2023 एवं फरवरी, 2023 का राशन नहीं दिये जाने के आरोप का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। इन आरोपों के अतिरिक्त अन्य गंभीर आरोपों का भी उल्लेख परिवाद–पत्र में किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई का निर्णय लिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को परिवाद–पत्र की प्रति आयोग के पत्रांक–432 दिनांक–22.06.2023 द्वारा प्रेषित करते हुए दिनांक–10.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे। दिनांक–10.07.2023 के सुनवाई के दौरान परिवादी के शिकायत का निदान कर आयोग को प्रेषित करते हुए अगली निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2023 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सशरीर उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2023 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा अपने नानी के श्राद्ध कार्यक्रम के कारण अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। आज दिनांक–24.07.2023 के निर्धारित तिथि को भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित हैं। उनके द्वारा पत्रांक–944 दिनांक–21.07.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय सचिव की अध्यक्षता में Google meet के माध्यम से बैठक आहूत है। उनके द्वारा पुनः समय की मांग की गई।

परिवादी का आरोप अत्यन्त गंभीर है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू न तो आरोप का समाधान कर रहे हैं, न ही सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं। आयोग NFSA से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त परिवाद के समाधान के लिये कार्यरत है। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की कार्रवाई प्रदर्शित करता है कि वे जनवितरण प्रणाली के योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। आज की सुनवाई अपराह्न 12.00 बजे निर्धारित थी। विभागीय सचिव के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की meeting google meet के माध्यम से प्रस्तावित है, जैसा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा सूचित किया गया है। चूंकि सचिव के साथ प्रस्तावित बैठक google meet के माध्यम से होनी है, ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी यदि NFSA के प्रति संवेदनशील होते तो

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

सुनवाई में भाग ले सकते थे। साथ ही परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोप के संदर्भ में कार्रवाई कर कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध करा सकते थे। आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय सचिव को भेजा जाए।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को आदेश देता है कि अगली निर्धारित तिथि से पूर्व परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोपों की गहनता से स्वयं जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ। साथ ही अगली निर्धारित तिथि को निश्चित रूप से उपस्थित हों। अनुपस्थिति की स्थिति में आयोग अनुशासनिक कार्रवाई को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–07.08.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–07.08.2023 को रखें।

24.7.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–31 / 2023

07.08.2023
17/08/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरस्वती देवी एवं अन्य ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित।

श्रीमती सरस्वती देवी पूर्व मुखिया सहित कुल–74 लोगों ने अपना शिकायत–पत्र दिनांक–02.03.2023 को भेजा था, जिसमें इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम–टोंगरा, प्रखण्ड–हुसैनाबाद के सभी शिकायतकर्ताओं को माह सितम्बर, 2022 से माह फरवरी, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि कुछ लोगों को माह सितम्बर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक का दोनों में से एक ही राशन दिया गया है एवं सभी कार्डधारियों से अंगूठा लगवा लिया गया है तथा माह जनवरी एवं फरवरी, 2023 का राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायतकर्ताओं ने राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, अनुज्ञप्ति सं0–45 / 1985 के विरूद्ध कई गंभीर आरोप भी लगाये गये हैं। इस बीच आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने आयोग को समर्पित अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा पूरे मामले की जाँच कराई गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा पत्रांक–913 दिनांक–07.07.2023 के माध्यम से समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय स्तर पर मामले की जाँच कराई गई, जिसमें यह बात संज्ञान में आई है कि कुल–74 शिकायतकर्ताओं में से 03 शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से इस बात को माना है कि उन्होंने शिकायत नहीं की है एवं उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि शिकायतकर्ताओं में से 01 शिकायतकर्ता श्री लल्लू साव का राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, ग्राम–कोसी, अनुज्ञप्ति सं0–45 / 1985 से आपसी रंजिश होने के कारण शिकायत की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के लिखित प्रतिवेदन के बाद आयोग ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया। टेलीफोन के माध्यम से हुई बातचीत में शिकायतकर्ता का कहना है कि श्री बिहारी महतो को प्रलोभन देकर उन से लिखित आवेदन ले लिया गया, जबकि अन्य दो लोगों श्री संदीप कुमार एवं श्रीमती सरस्वती देवी ने लिख कर शिकायत वापस लेने की बात नहीं कही है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि हो सकता है कि राशन डीलर ने ही फर्जी हस्ताक्षर की हो या करवाई हो। आयोग प्रखण्ड आपूर्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के जाँच प्रतिवेदन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अक्षरशः स्वीकार नहीं कर सकता है।

आयोग उपायुक्त, पलामू को निर्देश देता है कि वे जिला स्तर के किसी पदाधिकारी के उपस्थिति में ग्राम–टोंगरा, प्रखण्ड–हुसैनाबाद के राशन डीलर, श्री अलख देव सिंह, जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–45/1985 है, उसकी उपस्थिति में सभी लाभुकों विशेषकर सभी 74 शिकायतकर्ता की उपस्थिति में इस बात की जाँच करवाएँ कि शिकायतकर्ताओं ने जिस अवधि के राशन उपलब्ध नहीं होने की बात कही है, वह सत्य है या गलत। यदि सही पाया जाता है तो राशन डीलर के विरूद्ध उचित कार्रवाई के साथ सभी लाभुकों को जिस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस अवधि का सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराएँ एवं राशन डीलर के विरूद्ध न्यायोचित कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यदि जाँच में इस बात का प्रमाण मिलता हो कि राशन डीलर ने फर्जी हस्ताक्षर किया है या करवाया है, तो डीलर, श्री अलख देव सिंह के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज कराएँ। आयोग का यह मानना है कि कुल–74 शिकायतकर्ताओं में किन्हीं 04 शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली हो या डीलर के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात की हो, तो अन्य 70 शिकायतकर्ताओं के शिकायत को आयोग नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आयोग यह भी मानता है कि यदि आपसी रंजिश का मामला है, तो आयोग आपसी रंजिश के मामले की जाँच नहीं कर सकता। आयोग को सिर्फ यह देखना है कि लाभुकों को समय पर निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। यदि ससमय निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हो, तो आयोग का यह दायित्व है कि वो सभी लाभुकों को जिनकी हकमारी की गई है, उन्हें उनका हक मुआवजा के साथ उपलब्ध कराएँ।

आयोग यह भी निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी लाभुकों खासकर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में की गई जाँच की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएँ एवं उसकी प्रति आयोग को भी भेजें। आयोग यह निर्देश देता है कि सुनवाई की अगली तिथि से पहले सभी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष वह वीडियो पेश किया जाना चाहिए। उस वीडियो में उन सभी या अधिकतम 74 शिकायतकर्ताओं का पक्ष दर्ज कराया जाना चाहिए, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की सुविधा के लिये शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति आज पुनः

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

उपलब्ध करा रहा है, ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सभी शिकायतकर्ता के नाम की जानकारी रहे।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

दिनांक–12.09.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	**वाद संख्या–31 / 2023** दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है। अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2023	**वाद सं0–31 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री लल्लू साव एवं अन्य ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने 07.08.2023 के आदेश में उपायुक्त, पलामू को निर्देश दिया था, कि जिला स्तर के पदाधिकारी से पूरे मामले की जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। गौरतलब है कि 07.08.2023 की सुनवाई में शिकायतकर्त्ता ने आयोग को दूरभाष के माध्यम से यह बताया था कि कई शिकायतकर्त्ता पर दबाव डाल कर यह लिखवाया गया है कि उन्होंने यह शिकायत नहीं की है। आयोग ने शिकायतकर्त्ता के आरोपो को गम्भीरता से लेते हुए उपायुक्त, पलामू को जाँच का निर्देश दिया था। आयोग के आदेश के आलोक में उपायुक्त, पलामू ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा की गई जाँच की प्रति आयोग को भेजा है। आयोग के निर्देश के आलोक में पूरे जाँच प्रकिया की वीडियो रिकॉडिग भी करायी गई है, वीडियो रिकॉडिग का पेन ड्राइव जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन में अधिकतर लोगों ने ये बात स्वीकार की है कि शिकायत पत्र पर उनसे हस्ताक्षर उनकी सहमती के बगैर दबाव डालकर या गुमराह कर के कराया गया। इस बीच आज की सुनवाई में Video Conference के माध्यम से उपस्थित लल्लू साव का कहना है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा पेश किये गये जाँच प्रतिवेदन में कई लोगों ने ये बात लिखित और मौखिक रूप से कहा है कि उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग आज की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि जाँच प्रतिवेदन में जिन लोगों ने ये कहा है कि उन्हें राशन नहीं मिला है उन लोगों को जिस अवधि से राशन नहीं मिला है, उस अवधि का राशन सवा गुणा मुआवजे के साथ उपलब्ध करायें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि जाँच प्रतिवेदन में जिन लोगों को अनुपस्थित दिखाया गया है उनसे भी सम्पर्क कर ये जानने	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

का प्रयास करें कि उन्होंने शिकायत की थी अथवा नहीं यदि उन लोगों को भी राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो उन्हें भी सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश देता है कि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को भेजे। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज के आदेश का प्रमाण नहीं भेजा तो आयोग इस वाद की सुनवाई पुनः करने को बाध्य होगा फिलहाल आयोग उपरोक्त निर्देश के आलोक में इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267